दिनांक	आज्ञा पत्र	
21-3-2018	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में दावा घोषणात्मक एवं रेकार्ड दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जमालपुर में भूमि ख0नं0214 में से 5 बीघा उप खण्ड अधिकारी खेतडी के आदेश दिनांक 18-2-1972 के द्वारा मुखाराम को नियमन की गई थी जिसको नामान्तरकरण सं0-174 के द्वारा मुखाराम पुत्र जयराम के नाम खातेदारी दर्ज हो गई ।नियमन के बाद उक्त वादी को आवंटित आराजी का ख0नं0 214/2 रकबा 5 बीघा कायम किये गये । इस आदेश के विरूद्ध मदनलाल पुत्र हनुमान महाजन ने अमर जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां अपील की गई। जिस पर दिनांक 30-1-93 को आदेश हुआ जिसमें उक्त नियमन को निरस्त कर दिया तथा भूमि वापस राजकीय दर्ज कर दी गई ।प्रार्थी/वादीगण ने इस आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के यहां अपील प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 12-10-99को किया गया जिसमें अमर जिला कलेक्टर झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 30-1-1993 को निरस्त कर नियमन आदेश दिनांक 18-2-1972 को बहाल कर दिया तथा गत ख0नं0 214/2 मुखाराम की खातेदारी में दर्ज कर दिया ख0नं0 214/2 के नये ख0नं0 469 रकबा 1.04 हैक्टर ख0नं0 492 रकबा 0.03 हैक्टर, ख0नं0 1208/518 रकबा 0.17 हैक्टर कुल किता-3 रकबा 1.24 हैक्टर बनाये गये । मुखाराम की मृत्यु हो जाने पर उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी में दर्ज हो गई । जिसकी खातेदारी धोषित करवाने के अधिकारी वादीगण हैं इस आराजी में वादी सं0-1 का 1/4 हिस्सा, वादी सं0-2 का 1/4 हिस्सा, वादी सं0-3 से 5 का 1/4 हिस्सा एवं वादी सं0-6 से 8 का 1/4 हिस्सा है ।	

कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।अपीलान्ट की प्लीडिंग को बिना डिसकस किये निर्णय पारित किया गया है मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अपीलान्ट की टिनेन्सी साबित है। विवादित आराजी पर धारा-16 राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते न ही अब्दूल रहमान बनाम स्टेट के केस में प्रतिपादित सिद्धान्त भी विवादित आराजी पर लागू नहीं होते अदालत मातहत ने धारा-16 राज0का0अ0 एवं अब्दूल रहमान के केस की गलत व्याख्या कर निर्णय पारित किया है । विवादित आराजी का वर्तमान राजस्व रेकार्ड गलत बना है ।तत्कालीन उप खण्ड अधिकारी खेतडी ने ख0नं0 214(214/2) में से 5 बीघा भूमि दिनांक 18-2-1972 कोअपीलान्ट के पूर्वज मुखराम के हक में नियमन की थी जिसकी प्रविष्टि नामान्तरकरण सं0 174 के आधार पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज की है । जिससे उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार अपीलान्ट को प्राप्त हो चुके हैं।तत्कालीन अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 30-1-93 से आवंटन निरस्त होने पर मुखाराम की खातेदारी हटा दी गई थी किन्तु मा0 राजस्व अपील प्राधिधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 12-10-99 से अपील स्वीकार कर अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू का निर्णय निरस्त कर आवंटन आदेश दिनांक 18-2-1972 अस्तित्व में है। इस आधार पर अदालत मातहत को अपीलान्ट का दावा स्वीकार कर डिक्री किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर दावा डिक्री किया जावें ।

103/2016 अणाची-- तहसीलदार

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई । बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2072 से 2075 में खसरा नं0-469 रकबा 1.04 हैक्टर की खातेदारी गैरमु0 चारागाह दर्ज है तथा किस्म गैरमु0 जोहड दर्ज मा0 अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 30-1-1993 में आवंटन आदेश दिनांक 18-2-1972 को निरस्त कर वापस राजकीय दर्ज किया गया है । उप खण्ड अधिकारी खेतडी ने दिनांक 18-2-1972 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट के बाद ख0नं0 214 में से 5 बीघा बीघा भूमि पर लगातार कब्जा काश्त होने से आंवटन की है । विद्वान अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू के आदेश दिनांक 30-1-93 के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील पेश की जिसको दिनांक 12-10-1999 कोअपीलान्ट का आवंटन पुराना होने से अपील स्वीकार करविद्वान अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू का आदेश 30-1-1993 निरस्त कर आंवटन आदेश बहाल रखा है । अदालत मातहत ने इन दस्तावेजों पर कोई अवलोकन न कर अपना निर्णय दिया है । अतः हम विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों के एआईआर 1966{एस0सी0} पेज 1061, आरएलडब्लू 2007{1}{राज0 पेज-134 एआई आर 2008{एससी} पेज 932 के परिप्रेक्ष्य मेंप्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं ।	

	अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतडी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-3-2016 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में मौके की जांच कर पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 31-5-2018	

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	को उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । 21/3/18 भंवरलाल मेहरड़ा भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	